<u>न्यायालय – न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग, केकड़ी, जिला–अजमेर</u>

पीठासीन अधिकारी	–	**शुभम गुप्ता, आर.जे.एस.**
फौजदारी नियमित प्रकरण संख्या	–	545/2017
सी.आई.एस. नंबर	–	616/2017
सीएनआर नंबर	–	RJAJ140009552017

राजस्थान राज्य

.....अभियोजन

ब ना म

1. दुर्गालाल पुत्र रामलाल, उम्र 42 साल, निवासी कादेड़ा, पुलिस थाना केकड़ी, जिला अजमेर,
2. सुखदेव पुत्र रामलाल, उम्र 35 साल, निवासी कादेड़ा, पुलिस थाना केकड़ी, जिला अजमेर,
3. गोपाल पुत्र रामलाल, उम्र 45 साल, निवासी कादेड़ा, पुलिस थाना केकड़ी, जिला अजमेर।

.....अभियुक्तगण

<u>अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323, 451, 354, 34 भारतीय दण्ड संहिता</u>

उपस्थितिः–

1. अभियोजन अधिकारी वास्ते राज्य.
2. श्री मुकेश गुर्जर, विद्वान अधिवक्ता वास्ते अभियुक्तगण

–––––

:: <u>नि र्ण य</u> :: **दिनांकः 12.03.2026**

1. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 28.09.2015 को परिवादिया उच्छबा देवी ने एक इस्तगासा न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 01, केकड़ी, जिला अजमेर के समक्ष इस आशय का पेश किया कि परिवादिया गरीब तबके की महिला है जो कि कृषि कार्य करके शान्तिपूर्वक अपना व अपने परिवार का जीवन यापन करती चली आ रही है। दिनांक 22.09.2015 को समय प्रातः 05.30 बजे सभी मुल्जिमान एक राय होकर हाथों में लकड़ियां लेकर परिवादिया के घर में नाजायज घुसकर परिवादिया चाय बना रही थी। परिवादिया को गाली गलौच करते हुए परिवादिया की ओढनी को मुल्जिम संख्या 1 ने खींच कर उतार दिया व मुल्जिम संख्या 2 व 3 ने परिवादिया के लकड़ी की दाई जांघ, पीठ व हाथ की अंगुली पर मारी, जिससे उसके चोटें आयी है व मुल्जिम संख्या 1, 2, 3 ने परिवादिया को धक्का देकर नीचे गिरा दिया व

authenticated document

लात घूसों से मारपीट की व परिवादिया के कपड़े अस्त व्यस्त कर दिए, जिससे परिवादिया की लज्जा भंग की। मुल्जिम संख्या 4 ने परिवादिया की छाती पर बैठकर घूसों से मारपीट की व परिवादी संख्या 5 ने परिवादिया की चोटी पकड़कर घसीटा व परिवादिया की सोने की बाली लगभग एक तोला की जो परिवादिया ने पहन रखी थी, जिसे भी मुल्जिमान छीनकर कर ले गये। परिवादिया की चीख चिल्लाहट सुनकर परिवादिया के पति व लड़का भोजाराम व रामधणी व आस पड़ोसी ने बीच बचाव कराया अन्यथा परिवादिया के साथ और अनहोनी घटना कारित करते। उक्त घटना भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323, 341, 354, 379, 452 की हद तक पहुंचती है.....आदि। उक्त इस्तगासा पर न्यायालय द्वारा धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत पुलिस थाना केकड़ी को प्रेषित कर मुकदमा दर्ज कर नतीजा पेश करने हेतु आदेशित किया गया, जिस पर पुलिस थाना केकड़ी द्वारा बाद अनुसंधान अभियुक्तगण दुर्गालाल, सुखदेव, गोपाल के विरुद्ध धारा 341, 323, 451, 354, 34 भारतीय दण्ड संहिता में अपराध प्रमाणित पाकर उक्त धाराओं में अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया, जिस पर न्यायालय द्वारा बहस प्रसंज्ञान सुनी जाकर उक्त अभियुक्तगण के विरुद्ध उक्त धाराओं में प्रसंज्ञान लेकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

2. अभियुक्तगण को अपराध अंतर्गत धारा 451, 341, 323, 354, 34 भारतीय दण्ड संहिता के तहत आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्तगण ने आरोप सुन व समझकर आरोपों से इनकार किया तथा अन्वीक्षा चाही।

3. तत्पश्चात्, यह प्रकरण विधिवत सुनवाई हेतु श्रीमान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अजमेर के आदेश से न्यायालय श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 01, केकड़ी से स्थानांतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ। प्रकरण को इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया गया।

–:अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाह सूची:–

क. अभियोजन

साक्षी का क्रम	साक्षी का नाम
पीडब्ल्यू–1	उच्छबा
पीडब्ल्यू–2	सूरजकरण

पीडब्ल्यू–3	रामधणी

ख. बचाव

साक्षी का क्रम	साक्षी का नाम
–	–

–:अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श सूची:–

क. अभियोजन

क्रम संख्या	दस्तावेजों की प्रकृति	प्रदर्श संख्या
1	इस्तगासा	प्रदर्श पी–1
2	नक्शा मौका	प्रदर्श पी–2
3	बयान	प्रदर्श पी–3
4	मेडिकल हेतु इनकारी	प्रदर्श पी–4
5	पुलिस बयान उच्छबा	प्रदर्श पी–5
6	पुलिस बयान सूरजकरण	प्रदर्श पी–6
7	पुलिस बयान रामधणी	प्रदर्श पी–7

ख. बचाव

क्रम संख्या	दस्तावेजों की प्रकृति	प्रदर्श डी संख्या
1.	–	–

4. दौराने अन्वीक्षा अभियोजन पक्ष की ओर से उपरोक्त वर्णित सूची अनुसार गवाहान को परीक्षित करवाया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में उपरोक्त वर्णित सूची अनुसार दस्तावेजात को पेश कर प्रदर्शित करवाया गया।

5. विचारण के दौरान पक्षकारान द्वारा राजीनामा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 323, 341, 451, 34 भारतीय दण्ड संहिता में पेश किया गया। धारा 323, 341, 451, 34 भारतीय दण्ड संहिता राजीनामा योग्य होने से उक्त धारा बाबत राजीनामा स्वीकार कर अभियुक्तगण दुर्गालाल, सुखदेव, गोपाल को उक्त धारा 323, 341, 451, 34 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप से दोषमुक्त किया गया तथा धारा 354 भारतीय दण्ड संहिता बाबत विचारण जारी रखा गया।

authenticated document

6. अभियुक्तगण के बयान अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के लेखबद्ध किये गये, जिसमें अभियुक्तगण ने गवाहान के साक्ष्य को गलत होना तथा झूठा फंसाया जाना जाहिर किया। अभियुक्तगण ने साक्ष्य सफाई पेश नहीं की।

7. उभयपक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु है:–

(1) क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 22.09.2015 को समय 05.30 ए.एम. या उसके लगभग ग्राम कादेड़ा में अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर सामान्य आशय के अग्रसरण में परिवादिया उच्छबा देवी की लज्ञा भंग करने के आशय से उसकी ओढ़नी उतारकर आपराधिक बल का प्रयोग कर हमला कर उसकी लज्ञा भंग की?

(2) यदि हां, तो दण्ड की मात्रा क्या होगी?

8. उपर्युक्त विचारणीय बिंदु के संबंध में पत्रावली पर आई साक्ष्य का विवेचन किया गया। अभियोजन द्वारा मुख्य गवाह के तौर पर पी.ड.–1 परिवादिया उच्छबा को परीक्षित करवाया गया है, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि आज से करीब दस साल पहले सुबह साढ़े पांच बजे के आसपास वह और उसके पति घर पर ही थे, वह चाय बना रही थी तभी दुर्गालाल, गोपाल और सुखदेव उनके घर में घुस गये और उनके साथ मारपीट की, जिसमें उनके चोटें आयी। उसने इस घटना का मुकदमा दर्ज कराया जिसका इस्तगासा प्रदर्श पी–1 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। इस मामले में पुलिस वालों ने उससे पूछताछ की थी। नक्शा मौका प्रदर्श पी–2 बनाया था जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। मजिस्ट्रेट साहब के सामने उसके बयान कराये थे जो प्रदर्श पी–3 है जिन पर भी ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उसके ज्यादा गंभीर चोट नहीं थी इसलिए मेडिकल कराने से इनकार कर दिया था इनकारी प्रदर्श पी–4 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है अजखुद कहा उसका मुलजिमान से राजीनामा हो चुका है, वह इस मामले में अब कोई कार्यवाही नहीं चाहती है। जिस घर में घुसकर मारपीट की थी वह उसके पति के नाम से है जिसमें वे परिवार सहित निवास करते हैं। अजखुद कहा इन लोगों ने उसके साथ केवल थाप मुक्कों से घर में घुसकर मारपीट की थी। किसी ने उसके कपड़े नहीं फाड़े,

authenticated document

ना उसकी लूगड़ी उतारी और ना ही लज्जा भंग की। उक्त गवाह को अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर पक्षद्रोही घोषित किया गया। अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई जिरह के दौरान गवाह ने पुलिस बयान नहीं लिखवाने के कथन किए हैं तथा अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई जिरह के दौरान गवाह ने यह सुझाव सही बताया है कि रिपोर्ट दबाववश लिखवाई थी। अब वह कोई कार्यवाही नहीं चाहती है। मुलजिमान में से किसी ने भी न तो उसके कपड़े फाड़े न ही उसकी लूगड़ी फाड़ी और न ही उसकी लज्जा भंग की।

9. परिवादिया के उक्त बयानों के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि हालांकि परिवादिया द्वारा अपने मुख्य परीक्षण के दौरान इस्तगासा प्रदर्श पी–1 तथा उसके बयान अंतर्गत धारा 164 सीआरपीसी प्रदर्श पी–3 की पुष्टि की गई है, परंतु यह भी कथन किया है कि किसी ने उसके कपड़े नहीं फाड़े थे, न ही उसकी लूगड़ी फाड़ी थी तथा न ही उसकी लज्जा भंग की थी। गवाह द्वारा अपने पुलिस बयान पुलिस को नहीं लिखवाने के कथन किए गए हैं तथा अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई जिरह के दौरान गवाह द्वारा यह कथन किया गया है कि मुलजिमान में से किसी ने भी न तो उसके कपड़े फाड़े, न ही उसकी लूगड़ी फाड़ी तथा न ही उसकी लज्जा भंग की। इस प्रकार उक्त गवाह के बयानों से यह प्रकट होता है कि गवाह द्वारा अभियुक्तगण पर लगाए गए धारा 354 भारतीय दण्ड संहिता के आरोपों से संबंधित तथ्यों से स्पष्ट रूप से इनकार किया गया है।

10. परिवादिया पी.ड. 1 ने अपने मुख्य परीक्षण में यह भी कथन किया है कि घटना के समय उसका पति घर पर ही था, इसी क्रम में पी.ड. 2 के तौर पर सूरजकरण परिवादिया के पति के तौर पर परीक्षित हुआ है, जिसने भी अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि किसी ने उसकी पत्नी के कपड़े नहीं फाड़े न ही उसकी लूगड़ी उतारी और न ही लज्जा भंग की। इसी प्रकार गवाह पी.ड. 3 रामधणी देवी ने अपने मुख्य परीक्षण में मामले की कोई जानकारी नहीं होने के कथन किए हैं। उक्त गवाहान अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर पक्षद्रोही घोषित किए गए हैं तथा गवााहन द्वारा अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई जिरह के दौरान पुलिस बयान नहीं दिए जाने के कथन किए हैं। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई जिरह के दौरान गवाह पी.ड. 3 रामधणी ने यह कथन किया है कि उसने कोई घटना नहीं देखी।

11. उक्त समस्त बयानों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रकरण के महत्वपूर्ण गवाह पी.ड. 1 परिवादिया उच्छबा तथा पी.ड. 2 सूरजकरण ने स्पष्ट रूप से कथन किया है कि अभियुक्तगण ने परिवादिया के कपड़े नहीं फाड़े, न ही

authenticated document

उसकी लूगड़ी उतारी और न ही लज्जा भंग की। गवाह पी.ड. 3 ने भी यह स्पष्ट कथन किया है कि उसने कोई घटना नहीं देखी। ऐसी स्थिति में जहां प्रकरण के समस्त महत्वपूर्ण गवाह पक्षद्रोही रहे हैं तथा धारा 354 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के संबंध में अभियोजन की कहानी की लेशमात्र भी ताईद नहीं की है, वहां अभियुक्तगण को धारा 354 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध से साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

12. अतः अभियुक्तगण **1.** दुर्गालाल पुत्र रामलाल, उम्र 42 साल, निवासी कादेड़ा, पुलिस थाना केकड़ी, जिला अजमेर, **2.** सुखदेव पुत्र रामलाल, उम्र 35 साल, निवासी कादेड़ा, पुलिस थाना केकड़ी, जिला अजमेर, **3.** गोपाल पुत्र रामलाल, उम्र 45 साल, निवासी कादेड़ा, पुलिस थाना केकड़ी, जिला अजमेर को धारा 354 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

13. अभियुक्तगण को अपराध अंतर्गत धारा 323, 341, 451 सपठित धारा 34 भा.दं.सं. के आरोप से पूर्व में जरिये राजीनामा दोषमुक्त घोषित किया जा चुका है।

14. अभियुक्तगण के नियमित उपस्थिति बाबत प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं। अभियुक्तगण को द्वारा धारा 437 ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत 10,000/– रुपये के जमानत मुचलके पेश करने के आदेश दिये जाते हैं।

{शुभम गुप्ता }
न्यायिक मजिस्ट्रेट, केकड़ी
जिला अजमेर

15. निर्णय व आदेश आज दिनांक 12.03.2026 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर विवृत्त न्यायालय में मुद्रांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित किया गया।

{ शुभम गुप्ता }
न्यायिक मजिस्ट्रेट, केकड़ी
जिला अजमेर

authenticated document

GULSHAN BAGORIA
Steno Gr.III
"Authenticated Document"
Digitally signed by GULSHAN BAGORIA
Date: 2026.03.12 16:57:17 +0000